

DFPIs

District Family Planning Indemnity Subcommittee Meeting

Date :- 29-11-2018

Time :- 2.30 Pm

Venue :- op, C.S. Sirsa

आज दिनांक 29-11-2018 को सम्मिलित किया गया, जिसमें DFPIs की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जो कि निम्न प्रकार है

1. Worthy Deputy Commissioner, Sirsa - Chairperson
2. " Civil Surgeon, Sirsa - Convener
3. Deputy Civil Surgeon (AW), Sirsa - Member Secretary
4. Senior Most Gynaecologist, C.H. Sirsa - Member.
5. Senior Most Surgeon, C.H. Sirsa - Member

बैठक में निम्न प्रकार उपस्थित रहे :-

1. STD गोविन्द गुप्ता, सिविल सर्जन, फिरोजाबाद
2. STD सुधा राम, डप-सिविल सर्जन (पंजाब), फिरोजाबाद
3. STD सुभाषिणी, सर्जन, सिविल अस्पताल, फिरोजाबाद
4. _____ x _____
5. _____ x _____

बैठक में परिवार कल्याण समिति के अवर अफसरों को प्रशिक्षण के अभाव में होने वाले आवेदनों के बारे में विचार-विमर्श प्रारम्भ किया गया। STD सुधा राम, डप-सिविल सर्जन (पंजाब), फिरोजाबाद ने सर्वप्रथम अभाव में होने वाले अफसरों को प्रशिक्षण के विषय में जानकारी दी और बैठक में उपस्थित अफसरों को 30 दिनों के अन्दर ही जाति के अनुसार अफसरों को

कारणों वाले लाभार्थी को अपने अधिकार के अक्षय होने पर 90 दिनों के अन्दर अपने क्लाइंट को आवेदन करके आवेदनक देना है। न्यूज Consent Form में उपरोक्त 90 दिन वाले Clause नहीं है। अतः लाभार्थी को आवेदनक करने के लिए इस तरह Consent Form के Last Page पर Bold Letter में अंकित करना होगा।

इस पर उपरोक्त सूचना कार्य लक्षित कराते की गई।

2 - आर्य उप-निदेश (फ.बं.0), निदेश क्रमा. अ.स.स. 1110 कि संशोधन आवेदनक के होने पर निम्न वाली अनुभावों राशि देना है। जो कि पहले 30,000/- निदेशी की तब वह 60,000/- निदेशी। यदि इस अनुभाव की शर्तों को आवेदनक पर NHM को तथा आवेदनक पर State Head के लिये निम्न लागू। यह शर्त 1 अप्रैल 2018 के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनक पर लागू होगी।

3 - उप-निदेश (फ.बं.0), निदेश क्रमा. अ.स.स. 1110 को अद्यतन करके कि यदि इस अनुभाव के पहले क्लाइंट आवेदनक NHM द्वारा, निदेश में कलिया है। जो कि न्यूज यदि इस अनुभाव को आवेदनक पर NHM में आता है तथा आवेदनक पर State Head के निदेश जाना है। अतः उपरोक्त नई कमेटी संस्था है जो निम्न प्रकार के अपर 500/10/9/c. 0001 के पास उपलब्ध है। अतः उपरोक्त कार्यालय के प्राप्त होने वाले आवेदनक को यदि के मंचरी प्रकाश करने उपरान्त आवेदनक मूल रूप में लक्षित प्रकाश करने की अनुमति सहित निदेशित 500/9/c., DDO को लिखवा किने जाये।

इस पर भी सभी सदस्यों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया
 4- उप-निर्वाह समिति (प्रोत्साहन), निराला और सदस्यों
 के समस्त कामकाज में प्रकृत द्वारा निराला को प्रोत्साहन
 का प्रदान के आवेदन को कभी के समस्त प्रत्युत्तर देना
 जो निम्न प्रकार है -

1. Rekha Kani w/o Satpal s/o Nattore, Gita
2. Shalza w/o ~~Chhota Ram~~ ^{Soni} s/o. Nard Khara, Gita
3. Raj Kaur w/o Joginder Singh s/o Talwara Khural, Gita
4. Maya Devi w/o Rajveer, s/o Manora Khural, Gita

उपरोक्त सभी आवेदनों का Committee द्वारा
 यह निम्न गति लब्ध होकर पाया गया। वहाँ वहाँ
 गति कि आवेदन नाम प्रकृत कर रहे हैं उपनिर्वाह-समिति
 (प्रोत्साहन), निराला के माध्यम से प्रत्युत्तर 000 को
 प्रकृत आने पाने

Sulbharu
 29/11/16

29/11/16